

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 सितम्बर 2023—भाद्र 24, शक 1945

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2023

क्र. ई-5-1145-आयएस-लीव-5-एक.—श्रीमती गुंचा सनोबर, (भाप्रसे-2015) तत्कालीन अपर कलेक्टर, जिला सीहोर (वर्तमान में उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन) को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 फरवरी 2023 द्वारा दिनांक 9 फरवरी से 7 अगस्त 2023 तक, एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया गया था, के क्रम में उन्हें दिनांक 8 अगस्त से 29 दिसम्बर 2023 तक, 144 दिन का चार्ज्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्रीमती गुंचा सनोबर, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती गुंचा सनोबर, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-1163-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री पवन कुमार जैन (भाप्रसे-2013) अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर को दिनांक 27 सितम्बर से 13 अक्टूबर 2023 तक, सत्रह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 अक्टूबर 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री पवन कुमार जैन, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री पवन कुमार जैन, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

7439

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पवन कुमार जैन, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2023

क्र. ई-5-764-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विवेक पोरवाल, (भाप्रसे-2000), सचिव, मुख्यमंत्री तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग तथा सचिव, जनसंपर्क विभाग को दिनांक 29 सितम्बर से 20 अक्टूबर 2023 तक, बाईस दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 28 सितम्बर एवं 21, 22 अक्टूबर 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक पोरवाल, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मुख्यमंत्री तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग तथा सचिव, जनसंपर्क विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री विवेक पोरवाल, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक पोरवाल, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2023

फा. क्र. 3653-इक्कीस (ब-दो)-2023.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य में इस विभाग की अधिमूचना क्रमांक 2951-इक्कीस- (ब-दो)-16, दिनांक 12 अगस्त 2016 द्वारा जिला-शिवपुरी, श्योपुर, राजगढ़, दतिया, अशोकनगर, मुरैना में आवंटित नोटरी पदों को स्थानांतरित कर संशोधन करता है।

नोटरी पदों के स्थानांतरण पश्चात् वर्तमान संख्या को निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है :-

स. क्र.	जिला / तहसील	पूर्व स्वीकृत पद	वर्ष 2016 में नवीन आवंटित पद	घटाये गये पदों की संख्या	कुल स्वीकृत पद
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)
39(1)	शिवपुरी	17	04	01	20
39(7)	खनियाधाना (शिवपुरी)	04	02	01	05
38(2)	विजयपुर (श्योपुर)	05	03	01	07
29(3)	नरसिंहगढ़ (राजगढ़)	06	02	01	07
47(4)	चंदेरी (अशोकनगर)	04	02	02	04
24(1)	मुरैना	16	03	01	18
24(3)	पोरसा (मुरैना)	03	01	01	03

संशोधन उपरांत उक्त स्थानांतरित पदों को जिला मुख्यालय, दतिया में आवंटित किया जाता है, जो कि निम्नानुसार है :-

स. क्र.	जिला / तहसील	पूर्व स्वीकृत पद	वर्ष 2016 में नवीन आवंटित पद	बढ़ाये गये पदों की संख्या	कुल स्वीकृत पद
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)
9(1)	जिला-दतिया	13	04	08	25

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2023

फा. क्र. 878-2021-इक्कीस-ब (एक)-2023.—(मेरिट क्रमांक 01), राज्य शासन, श्री युवराज दीक्षित पुत्र श्री सुदेश दीक्षित को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 (लेवल J-1) में एतद्वारा नियुक्त करता है।

श्री युवराज दीक्षित का गृह जिला इंदौर (म. प्र.) है एवं उनकी जन्मतिथि 21 नवम्बर, 1997 है।

फा. क्र. 898-2021-इक्कीस-ब (एक)-2023.—(मेरिट क्रमांक 02), राज्य शासन, सुश्री शिखा पिसाल पुत्री श्री दीपक राव पिसाल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 (लेवल J-1) में एतद्वारा नियुक्त करता है।

सुश्री शिखा पिसाल का गृह जिला गुना (म. प्र.) है एवं उनकी जन्मतिथि 30 सितम्बर, 1996 है।

फा. क्र. 897-2021-इक्कीस-ब (एक)-2023.—(मेरिट क्रमांक 03), राज्य शासन, सुश्री शीनी जैन पुत्री श्री सुशील जैन को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 (लेवल J-1) में एतद्वारा नियुक्त करता है।

सुश्री शीनी जैन का गृह जिला नीमच (म. प्र.) है एवं उनकी जन्मतिथि 09 दिसम्बर, 1992 है।

फा. क्र. 880-2021-इक्कीस-ब (एक)-2023.—(मेरिट क्रमांक 04), राज्य शासन, श्री दिव्यांशु गुप्ता पुत्र श्री आनंद मुकुंद गुप्ता को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 (लेवल J-1) में एतद्वारा नियुक्त करता है।

श्री दिव्यांशु गुप्ता का गृह जिला सागर (म. प्र.) है एवं उनकी जन्मतिथि 16 जुलाई, 1995 है।

फा. क्र. 881-2021-इक्कीस-ब (एक)-2023.—(मेरिट क्रमांक 05), राज्य शासन, सुश्री अरवि व्यास पुत्री श्री नीरज व्यास को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 (लेवल J-1) में एतद्वारा नियुक्त करता है।

सुश्री अरवि व्यास का गृह जिला इंदौर (म. प्र.) है एवं उनकी जन्मतिथि 16 जनवरी, 1995 है।

फा. क्र. 862-2021-इक्कीस-ब (एक)-2023.—(मेरिट क्रमांक 06), राज्य शासन, सुश्री अक्षिता शुक्ला पुत्री श्री संजय शुक्ला को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 (लेवल J-1) में एतद्वारा नियुक्त करता है।

सुश्री अक्षिता शुक्ला का गृह जिला मंदसौर (म. प्र.) है एवं उनकी जन्मतिथि 11 नवम्बर, 1994 है।

फा. क्र. 882-2021-इक्कीस-ब (एक)-2023.—(मेरिट क्रमांक 07), राज्य शासन, सुश्री निशिता श्रीवास्तव पुत्री श्री गिरीराज श्रीवास्तव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 (लेवल J-1) में एतद्वारा नियुक्त करता है।

सुश्री निशिता श्रीवास्तव का गृह जिला राजगढ़ (ब्यावरा) (म. प्र.) है एवं उनकी जन्मतिथि 23 मई, 1995 है।

फा. क्र. 861-2021-इक्कीस-ब (एक)-2023.—(मेरिट क्रमांक 08), राज्य शासन, श्री ईशान डेंगुला पुत्र श्री मृगांक डेंगुला को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 (लेवल J-1) में एतद्वारा नियुक्त करता है।

श्री ईशान डेंगुला का गृह जिला ग्वालियर (म. प्र.) है एवं उनकी जन्मतिथि 4 अप्रैल, 1996 है।

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2023

क्र. एफ-5-4-2012-अट्टावन.—राज्य शासन, मध्यप्रदेश फल पौध रोपणी (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 8(1) 'ख' के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश फल पौध रोपणी (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अंतर्गत बने मध्यप्रदेश फल पौध रोपणी (विनियमन) नियम, 2011 के संदर्भ में पंजीकृत शासकीय एवं निजी क्षेत्र की रोपणियों से विक्रय किये जाने वाले निम्नांकित फल पौधों की वर्ष 2023-24 के लिये अधिकतम दर कॉलम क्रमांक (3) में दशौथे अनुसार घोषित करता है:—

क्र.	नाम फल-पौध	वर्ष 2023-24 में दर प्रति पौध (रुपये में)
(1)	(2)	(3)
1	आम कलमी (सभी किस्में)	80
2	आम बीजू	25
3	अमरूद गूटी	50
4	अमरूद बडेड	50
5	अमरूद बीजू	25
6	नींबू गूटी	50
7	नींबू बीजू	25
8	मौसम्बी बडेड	50
9	संतरा बडेड	50
10	कटहल बीजू	25
11	सीताफल बीजू	25
12	सीताफल बडेड	50
13	अनार गूटी	50
14	अनार कटिंग	40
15	अनार ग्राफ्टेड	50
16	जामुन बीजू	25
17	फालसा कटिंग	40
18	शहतूत (रूटेड कटिंग)	40
19	आँवला बडेड	50
20	आँवला बीजू	25
21	चीकू (ग्राफ्टेड)	80
22	बेर बडेड	50
23	करौंदा बीजू	25
24	करौंदा कलम	30
25	पपीता पौध बीजू (सभी उन्नत किस्में).	25

(1)	(2)	(3)
26	पपीता संकर किस्में बीजू	40
27	केला कन्द	25
28	लीची गूटी	80
29	अंगूर रूटेड कटिंग	25
30	नाशपाती बडेड	50
31	इमली	25
32	खुरासानी इमली	50
33	ड्रेगन फ्रुट	50
34	काजू	50
35	सहजन (मुनगा)	25
36	अंजीर कटिंग	30
37	बेल बीजू	25
38	बेल ग्राफ्टेडेड	50
39	पैशन फ्रुट	50

उपरोक्त दरें आगामी अधिसूचना जारी/प्रकाशित होने तक प्रभावशील रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सरिता बाला, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश कार्यालय, सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय, सांची, मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2023

क्र. एफ-1-5-23-रा.स.-यू.ए.1-925.—सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2012 (क्रमांक 1, सन् 2013) की धारा 13 की उपधारा (1) के प्रावधानांतर्गत विश्वविद्यालय की साधारण परिषद् द्वारा अनुशंसित पैनल में से मैं, मंगुभाई पटेल, कुलाध्यक्ष, सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय, सांची, जिला रायसेन (म. प्र.) एतद्द्वारा, प्रो. बैद्यनाथ लाभ, प्रोफेसर एवं पूर्व कुलपति, सम्बोधी, 4849, स्ट्रीट नम्बर 113/1, बी ब्लॉक, संतनगर, नुरारी, दिल्ली-110084 को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 04 वर्ष की कालावधि या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, के लिए उक्त विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त करता हूँ.

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम 01 के अनुसार शासित होंगी.

मंगुभाई पटेल, कुलाध्यक्ष.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 5 जुलाई 2023

क्र. 422-प्रशा.-भू-अर्जन-2023.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूँकि, उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का वर्णन				अनुसूची	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)	
(1) रीवा	(2) जवा	(3) पुराणिक पुर्वा	(4) 0.590	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा.	त्योंथर बहाव योजना के चिल्ला वितरक नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु.	

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, जिला रीवा एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 424-प्रशा.-भू-अर्जन-2023.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। चूँकि, उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का वर्णन				अनुसूची	धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)	
(1) रीवा	(2) जवा	(3) मनीपुर कोटार	(4) 0.085	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा.	त्योंथर बहाव योजना के चिल्ला वितरक नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु.	

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, जिला रीवा एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 426-प्रशा.-भू-अर्जन-2023.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूँकि, उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	बेनी डीह	0.120	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा.	त्योंथर बहाव योजना के चिल्ला वितरक नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, जिला रीवा एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 428-प्रशा.-भू-अर्जन-2023.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूँकि, उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	जोन्हा कोठार	0.240	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा.	त्योंथर बहाव योजना के चिल्ला वितरक नहर की शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, जिला रीवा एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 13 जुलाई 2023

पत्र क्र. 537-प्रवा.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—पड़री नं. 2
(घ) क्षेत्रफल—0.043 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1915/2/1	0.043

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर क्योती नहर योजना अंतर्गत सदहना नहर के निर्माण” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 539-प्रवा.-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—झिरिया 189
(घ) क्षेत्रफल—0.040 हेक्टेयर.
- | खसरा नं. | अर्जित रकबा (हे. में) |
|-----------|-----------------------|
| (1) | (2) |
| 240/2/1/1 | 0.040 |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बाणसागर परियोजना सिरमौर डिस्ट्रीब्यूट्री अंतर्गत मुडियारी नहर के निर्माण” में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 1 अगस्त/सितम्बर 2023

क्र. 5853-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2) महाराष्ट्र शासन, जल संपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-प्रमाअ-2007-(128-07)-जसनि मंत्रालय, मुंबई, दिनांक 11 अप्रैल 2007 के द्वारा योजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे." आवेदक विभाग कार्यकारी अभियंता पाट बंधारे प्रकल्प विभाग नागपुर द्वारा सत्यापित/हस्ताक्षरित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न की गई है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम-लोहानी प.ह.नं.-62/24 ब.न.-359 रा.नि.मं.- सौंसर.	रकबा-06.070 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा.	कन्हान नदी प्रकल्प (कोच्छी बैरैज) के बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे प्रकल्प विभाग नागपुर जिला नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, सहायक अभियंता श्रेणी-1 कोच्छी बैरैज उपविभाग क्र. 1, नागपुर, जिला नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 1 अगस्त/सितम्बर 2023

क्र. 5854-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—पांडुर्णा
(ग) नगर/ग्राम—कुकडीखापा, प.ह.नं.-64,
ब. नं.-47, रा. नि. मं.-पांडुर्णा
(घ) अर्जित किये जाने वाली कुल रकबा-9.575
प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर आने
वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
56/2	0.080
77/2	0.100
79/4	0.073
56/3	0.048
55/1	0.573
55/2	0.216
79/5	0.600
79/3	0.220
77/1	0.180
79/2/3	0.714
77/3	0.203
64	2.010
65	0.093
63/2	0.040
19/2	0.500
60/3	0.390
60/4	0.308
60/5	0.080
59/2/1	0.032

(1)	(2)
10/7	0.072
10/4	0.036
10/5	0.080
8/7	0.345
8/2	0.080
8/6	0.040
2	0.205
15	0.823
18	0.503
54/7	0.200
76/2/1	0.080
76/2/2	0.090
76/1/1	0.020
46	0.541

योग . 09.575

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—डोलनाला जलाशय के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-पांडुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग पांडुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 5855-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा

यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—पांडुर्णा
 (ग) नगर/ग्राम—करव्हार, प.ह.नं.-63,
 ब. नं.-36, रा. नि. मं.-पांडुर्णा
 (घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-0.120
 प्रस्तावित क्षेत्रफल— हेक्टेयर एवं प्रस्तावित
 क्षेत्रफल पर आने
 वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1) 258/1	(2) 0.120
योग .	0.120

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—डोलनाला जलाशय के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-पांडुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग पांडुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 मनोज पुष्प, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं
 पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 2 जून 2023

क्र. 7616-भू-अर्जन-2023.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (01) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (02) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
 (ख) तहसील—गंधवानी
 (ग) ग्राम—गुंगीदेवी
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.452 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
24/1/2	0.572
24/1/3	0.501
24/1/4	0.137
30/2	0.044
31/2/2	0.140
31/2/3	0.308
31/2/4	0.480
55/1/क	0.105
55/1/ख	0.100
55/5	0.065
योग .	2.452

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—छोटा उदयपुर-धार, नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर तथा उप मुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम रेलवे, प्रताप नगर, बडोदरा-04 (गुजरात) के कार्यालय में, कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2023

क्र. एफ. 01-21-2022-सात-शा. 7.— मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से वर्तमान जिला रीवा में नवीन अनुविभाग जवा का सृजन किया जाता है, जिसमें तहसील जवा के पटवारी हल्का क्रमांक 01 से 87 तक, कुल 87 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.

2. प्रस्तावित जवा अनुविभाग के गठन उपरांत अनुविभाग त्योंथर में तहसील त्योंथर के पटवारी हल्का क्रमांक 01 से 100 तक, कुल 100 पटवारी हल्के शेष रहेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2023

क्र. एफ. 01-21-2022-सात-शा. 7.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 01-21-2022-सात-शा. 7, दिनांक 14 सितम्बर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.

Bhopal, the 14th September 2023

No. F. 01-21-2022-VII-Sec-7.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, forms new sub-division Jawa in District Rewa comprising of Total 87 Patwari halkas, i.e., Patwari halkas number 1 to 87 of Tehsil Jawa, After its formation sub-division Teonthar would comprise of 100 Patwari halkas, i.e., Patwari halka number 1 to 100 of Tehsil Teonthar.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CALISTA KUJUR, Under Secy.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

पत्र क्र. 9352-भू-अर्जन-2023

राजगढ़, दिनांक 25 अगस्त 2023

-: अनुसूची - 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2022-23 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची में भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम हिरणखेडी के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

-: अनुसूची - 2 :-

पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम हिरणखेडी की छूटी हुई शेष भूमि के अर्जन का विवरण

तहसील-नरसिंहगढ़

जिला-राजगढ़

(1) भूमि :-				
स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हे.मे)	अर्जित भूमि (हे.मे)
1	2	3	4	5
1	राधेश्याम पिता भंवरजी जाति देशवाली पत्ता निवासी ग्राम भू-स्वामी	45/2	0.569	0.569
	योग -	1	0.569	0.569
2	बापूलाल पिता प्यारेलाल जाति चमार पत्ता निवासी ग्राम भू-स्वामी	59/3/1/1	0.580	0.580
	योग -	1	0.580	0.580
3	लक्ष्मण पिता जगन्नाथ जाति चमार पत्ता निवासी ग्राम भू-स्वामी	59/3/2/1	0.196	0.196
		107/1/6	0.575	0.336
	योग -	2	0.771	0.532
4	शिवप्रसाद पिता जगन्नाथ जाति चमार पत्ता निवासी ग्राम भू-स्वामी	59/3/3/1	0.579	0.579
	योग -	1	0.579	0.579
5	किशनलाल पिता शंकरलाल जाति चमार पत्ता निवासी ग्राम भू-स्वामी	64/8/1/1	0.547	0.054
	योग -	1	0.547	0.054
6	हरिनारायण पिता मूलचंद जाति चमार पत्ता निवासी ग्राम भू-स्वामी	64/8/2/1	0.662	0.104
	योग -	1	0.662	0.104
7	भारतसिंह पिता नन्तूलाल जाति चमार पत्ता निवासी ग्राम भू-स्वामी	107/1/5	0.850	0.507
	योग -	1	0.850	0.507
	महायोग -	8	4.558	2.925

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प.क्र.-9941-भू-अर्जन-2023

राजगढ़, दिनांक 4 सितम्बर 2023

क्रमांक/भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 25/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन में तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के प्राग फूलखेड़ी के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

:-अनुसूची (1) :-

राजगढ़ में भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन

क्र.	विवरण	अर्जनीय रकबा है०म०
(1)	(2)	(3)
1	फूलखेड़ी	1.500
कुलयोग:-		1.500

:-अनुसूची (2) :-

राजगढ़ में भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि अर्जन का पुनर्वास अर्जन की जाने वाली निजी भूमि का विवरण

क्र.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवासी स्थान	पत्र संख्या	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जित किया जाने वाला अतिरिक्त भूमि का रकबा (हेक्टेयर)
1	नानूराम पिता मोतीलाल जाति चमार निवासी ग्राम फूलखेड़ी	22/2/1/4	0.379	0.120
	योग	1	0.379	0.120
2	शिवलाल पिता पूरजी जाति चमार निवासी फूलखेड़ी	22/2/1/3	0.379	0.120
	योग	1	0.379	0.120
3	कलश पिता कनीराम जाति चमार नि. फूलखेड़ी	22/2/1/2	0.379	0.120
	योग	1	0.379	0.120
4	कमलाबाई पति बिहारी लाल जाति चमार निवासी फूलखेड़ी बापूलाल पिता बिहारी लाल जाति चमार नि. फूलखेड़ी	22/2/1/1	0.863	0.253
	योग	1	0.863	0.253
5	विरम पिता लाला जाति चमार निवासी फूलखेड़ी	22/2/5/1	0.460	0.025
	योग	1	0.460	0.025
6	शैलेन्द्रसिंह भार्गो पिता जगदीशसिंह भार्गो जाति राजपूत निवासी राजगढ़	9/1/1/1 8/3/2/1	0.030 0.242	0.030 0.242
	योग	2	0.272	0.272
7	महेन्द्रपाल सिंह, शैलेन्द्रसिंह पिता जगदीश सिंह जाति राजपूत निवासी राजगढ़	8/3/1/1 9/1/2/1	0.092 0.020	0.038 0.020
	योग	2	0.112	0.058
8	कुमारसिंह आदित्य सिंह, जलजली पिता रामपाल सिंह सिवाकर केवा रामपाल सिंह जाति राजपूत नि. राजगढ़	8/4 9/2/1	0.656 0.463	0.228 0.304
	योग	2	1.119	0.532
कुलयोग:-		11	3.965	1.500

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजगढ़) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

गमगंजमंडी में भोपाल ब्रडी रेन्डो लाईन से प्रभावित अतिरिक्त भूमि की सूची ग्राम-राजगढ़ खास

क्र.	भूमि स्वामी का नाम एवं पिता का नाम व जाति तथा निवास	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जित किया जाने वाले अतिरिक्त भूमि का रकबा (हेक्टेयर)
1	ज्ञान सिंह, भिबीबाई पिता कवर लाल जाति गुर्जर	814/4/1/1/1	0.309	0.063
	योग	1	0.309	0.063
2	गंगाधर, भूरीबाई पिता कवरलाल जाति गुर्जर	814/4/1/1/2	0.310	0.063
	योग	1	0.310	0.063
3	देवसिंह, कलाबाई पिता कवरलाल जाति गुर्जर	814/4/1/3	0.310	0.063
	योग	1	0.310	0.063
4	नरेन्द्र कुमार पिता प्रेमशंकर जाति महाजन	814/4/2/1/2	2.077	0.275
	योग	1	2.077	0.275
5	नरेन्द्र कुमार, वीरेन्द्र कुमार, शीला पिता प्रेमशंकर विजय	814/5/2/1	0.812	0.144
	योग	1	0.812	0.144
कुलयोग:-		05	3.818	0.608
महायोग:-		13	14.146	1.608

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प.क्र.-10165-भू-अर्जन-2023

राजगढ़, दिनांक 11 सितम्बर 2023

क्रमांक/भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 31...../अ-82./2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल बड़ी रेल्वे लाईन में तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम मनोहरपुरा के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

:-अनुसूची (1) :-

रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल लाइन

क्र.	विवरण	अर्जनीय रकबा है०में०
1	मनोहरपुरा	5.278
	कुलयोग:-	5.278

:-अनुसूची (2) :-

रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल लाईन परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि अर्जन का प्रस्ताव अर्जन की जाने वाली निम्न भूमि का विवरण

क्र.	भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान	खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर)	अर्जित किया जाने वाले अतिरिक्त भूमि का रकबा (हेक्टेयर)
1	जसवत सिंह शिवपाल सिंह, लोकेश्वर सिंह विजय पाल सिंह महिपाल सिंह पिता रुगानाथ सिंह जाति राजपूत निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	31/1	1.460	0.173
	योग	1	1.460	0.173
2	शंकर लाल पिता गोपीलाल जाति चमार निवासी फूलखेड़ी राजगढ़ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	9/2/1	0.316	0.116
	योग	1	0.316	0.116
3	रामकुमार दाई देवा जगन्नाथ जाति चमार निवासी फूलखेड़ी राजगढ़ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	9/1/3/1	0.456	0.304
	योग	1	0.456	0.304
4	शिवनाथरायण पिता प्यारजी जाति सोरिया निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	10/2/1/1	0.468	0.228
	योग	1	0.468	0.228
5	गंगाराम पिता प्यारजी जाति सोरिया निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	10/2/2/1	0.468	0.228
	योग	1	0.468	0.228
6	भगवान सिंह पिता प्यारी जाति सोरिया निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	10/2/3/1	0.468	0.228
	योग	1	0.468	0.228
7	नारायण सिंह पिता रामसिंह जाति सोरिया निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	14/1/1	0.586	0.316
	योग	1	0.586	0.316
8	वर्जसिंह पिता भीमा जाति सोरिया निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	15/3/1	1.336	0.101
	योग	1	1.336	0.101
9	कतोरसिंह पिता नवल जाति सोरिया निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	21/2/1	0.031	0.031
	योग	1	0.031	0.031
10	प्यार जी पिता नवल जाति सोरिया निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	21/1/1	0.030	0.030

	योग	1	0.030	0.030
11	भवरलाल, मदनलाल पिता लक्ष्मण कचनवाई वैया लक्ष्मण जाति चमार निवासी फूलखेड़ी राजगढ़ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	35/2/1	0.566	0.379
	योग	1	0.566	0.379
12	गगाराम पिता लाला जाति चमार निवासी फूलखेड़ी राजगढ़ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	32/2/1	0.246	0.202
	योग	1	0.246	0.202
13	दोलजी पिता देवीसिंह जाति सांधिया निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	51/1/1/1	1.563	0.585
	योग	1	1.563	0.585
14	रामेश्वर, कालूसिंह पिता हरीसिंह जाति सांधिया निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	51/2/1/1	1.756	0.516
	योग	1	1.756	0.516
15	लक्ष्मीनारायण पिता रुगनाथ जाति सांधिया निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	50/2	0.499	0.120
	योग	1	0.499	0.120
16	बिहारीलाल पिता रुगनाथ जाति सांधिया निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	49/4/1	0.385	0.153
		50/1	0.500	0.090
	योग	2	0.885	0.243
17	नणपत पिता भैरु जाति चमार निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	17/12/1	0.235	0.235
	योग	1	0.235	0.235
18	देवसिंह पिता भैरु जाति चमार निवासी मनोहरपुरा राजगढ़ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	22/1/1	0.161	0.101
	योग	1	0.161	0.101
19	धीरालाल, पूरणसिंह पिता माधोसिंह जाति सांधिया निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	22/2/1	0.850	0.253
	योग	1	0.850	0.253
20	मागीलाल पिता अनारजी जाति सांधिया निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	21/3	1.069	0.506
	योग	1	1.069	0.506
21	बजे सिंह पिता भीमा जाति सांधिया निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	15/3/1	1.336	0.180
	योग	1	1.336	0.180
22	कालूसिंह पिता फतेहसिंह जाति सांधिया निवासी राजगढ़ मध्य प्रदेश भू-स्वामी	54/1	1.467	0.203
	योग	1	1.467	0.203
	कुलयोग:-	23	16.252	5.278

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्ष दीक्षित, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन राजस्व विभाग

क्र.-812-भू-अर्जन-2023

सीधी, दिनांक 31 अगस्त 2023

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य झगरौही पहुँच मार्ग लम्बाई 2.30 कि०मी० सड़क निर्माण कार्य के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग से स्वीकृत है एवं आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है और इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन नहीं होगा। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला	:-	सीधी
(ख) तहसील	:-	सिहावल
(ग) ग्राम	:-	लोहीडाड़
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	:-	04 चितांग
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:-	रकबा 0.275 हे०

क्र०	खसरा नं०	अर्जन हेतु रकबा हे० में	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	581	0.015	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग(भा०/स०) सीधी, संभाग सीधी(म.प्र.)	झगरौही पहुँच मार्ग लम्बाई 2.30 कि०मी० के निर्माण हेतु
2	582	0.060		
3	587	0.030		
4	588	0.050		
5	697	0.010		
6	696	0.005		
7	717	0.010		
8	719	0.010		
9	735	0.020		
10	736	0.065		
निजी भूमि का योग-		0.275		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र.-814-भू-अर्जन-2023

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि-अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य झगरौही पहुँच मार्ग लम्बाई 2.30 कि०मी० सड़क निर्माण कार्य के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग से स्वीकृत है एवं आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है और इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन नहीं होगा। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला	:-	सीधी
(ख) तहसील	:-	सिहावल
(ग) ग्राम	:-	झगरौही
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर	:-	04 चितांग
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	:-	रकबा 1.569 हे०

क्र०	खसरा नं०	अर्जन हेतु रकबा हे० में	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
1	4/1	0.015	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग(भ०/स०) सीधी, संभाग सीधी(म.प्र.)	झगरौही पहुँच मार्ग लम्बाई 2.30 कि०मी० के निर्माण हेतु
2	6/1	0.002		
3	4/2	0.010		
4	6/2	0.002		
5	3/3	0.008		
6	4/3	0.011		
7	6/3	0.002		
8	4/4	0.002		
9	7	0.020		
10	8	0.004		
11	6/4/1	0.002		
12	9	0.006		
13	13	0.004		
14	16	0.007		
15	18/219	0.030		

16	74	0.007		
17	106	0.016		
18	117	0.005		
19	20	0.020		
20	12	0.004		
21	91	0.005		
22	94	0.006		
23	111/1	0.005		
24	114	0.004		
25	115/1	0.004		
26	17	0.010		
27	18	0.024		
28	19	0.006		
29	83	0.025		
30	22	0.006		
31	25	0.010		
32	39	0.006		
33	45	0.002		
34	48	0.012		
35	40	0.003		
36	41	0.002		
37	42	0.003		
38	55	0.005		
39	57	0.003		
40	43	0.005		
41	49	0.021		
42	51	0.030		
43	54	0.005		
44	58	0.003		
45	59	0.005		
46	75	0.004		
47	65	0.005		
48	66	0.005		
49	73	0.007		
50	90	0.009		
51	100	0.005		
52	76/1	0.003		
53	78/2	0.015		
54	97/2	0.005		
55	86/2	0.004		
56	115/3	0.004		
57	95	0.003		
58	98	0.003		
59	99	0.003		
60	102	0.004		
61	103	0.690		
62	104/1	0.002		
63	104/2	0.020		
64	105/1	0.012		
65	110	0.004		
66	111/2	0.005		
67	115/2	0.008		
68	6/4/2	0.002		
69	202	0.020		
70	206	0.160		
71	203	0.100		
72	204	0.020		
73	205	0.060		
निजी भूमि का योग-		1.569		

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
साकेत मालवीय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.